राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2020/2012/जयपुर.

मैसर्स हाई स्ट्रीट फिलाटैक्स लिमिटेड,
एफ–86, हीरालाल औद्योगिक क्षेत्र कानोता जयपुर. .....प्रार्थीगण.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत–द्वितीय, जयपुर.
2. उप–पंजीयक, बस्सी जिला जयपुर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/03/2014

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी फर्म द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक), जयपुर वृत–द्वितीय (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 1107/11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रीको द्वारा भूखण्ड संख्या एफ–86 हीरावाला औद्योगिक क्षेत्र जयपुर क्षेत्रफल 2353.63 वर्गमीटर का आवंटन मैसर्स केबटेक इण्डिया प्रा0 लिमिटेड को जरिये लीजडीड दिनांक 24.12.92 से किया गया। उक्त फर्म द्वारा व्यवसाय में नुकसान होने पर प्रश्नगत भूखण्ड पर मैसर्स यूनिलेग वियर्स (इण्डिया) लिमिटेड की स्थापना के निवेदन पर रीको द्वारा लीजडीड शेष अवधि के लिये मैसर्स यूनिलेग वियर्स के नाम निष्पादित की गई, जिसका पंजीयन दिनांक 1.7.95 को किया गया। तत्पश्चात रीको द्वारा मैसर्स यूनिलेग वियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मण्डल के निवेदन पर फर्म का नाम मैसर्स हाई स्ट्रीट फिलाटैक्स लिमिटेड परिवर्तित कर संशोधित लीजडीड पंजीयन हेतु उप–पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उप–पंजीयक द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज को ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में मानते हुए कन्वेंस की दर से मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता मानी गयी। इस पर प्रार्थी फर्म द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत दस्तावेज के वर्गीकरण एवं मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता निर्धारण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

लगातार.....2

कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निगरानी अधीन आदेश दिनांक 19.01.2012 से प्रश्नगत दस्तावेज को ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में मानते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निर्माण सहित रूपये 1,08,03,555/– निर्धारित करते हुए कन्वेंस की दर से मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क की देयता अवधारित की गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया प्रार्थी कम्पनी द्वारा अपने पूर्व नाम मैसर्स यूनिलेग वियर्स (इण्डिया) लिमिटेड को परिवर्तित कर मैसर्स हाई स्ट्रीट फिलाटैक्स लिमिटेड किया गया है एवं उक्तानुसार रीको के रेकॉर्ड में भी परिवर्तन करवाया गया है, जिसमें प्रार्थी कम्पनी के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत दस्तावेज ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **2013 (1) आर.आर.टी. 623** एवं **2011 (1) आर.आर.टी. 569** का हवाला दिया गया।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार करने तथा कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रार्थी कम्पनी का नाम परिवर्तन हो जाने से इसके विधान में परिवर्तन किया गया है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। रीको द्वारा पूर्व में निष्पादित लीजडीड की शेष अवधि के लिये परिवर्तित नाम से संशोधन किये जाने के कारण यह प्रकरण स्पष्ट रूप से ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट की श्रेणी में आता है, जिस पर कन्वेंस की दर

लगातार.....3

से मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता बनती है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 19.01.2012 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व कम्पनी मैसर्स यूनिलेग वियर्स (इण्डिया) लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर मैसर्स हाई स्ट्रीट फिलाटैक्स लिमिटेड किया है, जिसमें किसी प्रकार की आस्तियां एवं दायित्व हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। ये तथ्य निर्विवाद है। पूर्व कम्पनी ने भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 (जिसे आगे **'कम्पनी एक्ट'** कहा जायेगा) की धारा 21 के तहत नाम परिवर्तन किया है। कम्पनी एक्ट की धारा 21, 23 उद्धरित करना समीचीन होगा –

21. Change of name by Company -

A company may, by special resolution and with the approval of the Central Government signified in writing, change its name :

Provided that no such approval shall be required where the only change in the name of a company is the addition thereto or, as the case may be, the deletion therefrom, of the word "private", consequent on the conversion in accordance with the provisions of this Act of a public company into a private company or of a private company into a public company.

23. Registration of change of name and effect thereof -

(1) Where a company changes its name in pursuance of section 21 or 22, the Registrar shall enter the new name on the register in the place of the former name, and shall issue a fresh certificate of incorporation with the necessary alterations embodied therein; and the change of name shall be complete and effective only on the issue of such a certificate.

(2) The Registrar shall also make the necessary alteration in the memorandum of association of the company.

लगातार.....4

(3) The change of name shall not affect any rights or obligations of the company, or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the company by its former name may be continued by or against the company by its new name.

कम्पनी एक्ट के प्रावधानानुसार पूर्व कम्पनी ने रजिस्ट्रार कम्पनी से नाम परिवर्तन के निवेदन पर रजिस्ट्रार कम्पनीज ने स्वीकृति दिनांक 25.4.2006 को जारी की गई। परिवर्तित नाम की निगराकार कम्पनी ने रीको को अनुमति हेतु लिखे जाने पर रीको ने पत्र दिनांक 24.01.2011 में स्वीकृति जारी की, जिसके अनुसार पूर्व लीजडीड जो मैसर्स यूनिलेग वियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम थी, में नाम संशोधन किया गया है, कोई नई लीजडीड निष्पादित नहीं की गई है।

प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को किसी प्रकार के दायित्व व आस्तियां हस्तान्तरित नहीं हुई है, बल्कि फर्म के निदेशक मण्डल ने फर्म का नाम परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर संशोधित नाम की लीजडीड पंजीयन हेतु प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अभाव में मुद्रांक शुल्क आकर्षित नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित निर्णय **(2006) आर.आर.टी. (1) 152** तथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त **2013 (1) आर.आर.टी. 623** एवं **2011 (1) आर.आर.टी. 569** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

माननीय शीर्ष न्यायालय ने सप्लीमेंट्री लीजडीड निष्पादित होने के बावजूद Transfer of Property Act की धारा 105 के तहत हस्तान्तरण के अभाव में दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क आरोपण को अविधिक अवधारित किया है।

उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर (मुद्रांक) के निर्णय को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

6.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
06/03/14